वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2015-अग्रहायण 13, शके 1937

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, शपथकर्ता का नाम शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों में दिनेश कुमार राखे दर्ज है, जबकि मैं शपथकर्ता का नाम अब परिवर्तित होकर दिनेश राखे S/o श्री दिनकर राव राखे से जाना-पहचाना जाए, साथ ही शासकीय एवं गैर शासकीय दस्तावेजों सहित अन्य सभी जगह पर दिनेश राखे S/o श्री दिनकर राव राखे से ही पहचाना जायें.

पुराना नाम :

(दिनेश कुमार राखे)

नया नाम :

(दिनेश राखे)

न्यू, सी-84, ए. बी. टाईप कॉलोनी,
सारनी, जिला बैतूल (म.प्र.) 460447.

(466-बी.)

नाम परिवर्तन

हर आम खास को सूचित किया जाता है कि मेरा पूर्व का नाम गौसगुलाम तनय परवेज आलम था जो कि अब मेरा नाम मोहम्मद गुलामगौस तनय परवेज आलम है जो कि सही एवं सत्य है. इसी नाम से मुझे जाना जाए.

पुराना नाम :

(गौसगुलाम)

नया नाम :

(मोहम्मद गुलामगौस)

तनय परवेज आलम
पता-रजा मार्ग, पुरानी बस्ती देवी मंदिर के पास,
अमरपाटन वार्ड-12, जिला सतना (म.प्र.).

(468-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, पूर्व नाम वेणीमाधव चंद्र शेखर, उम्र 59 वर्ष, निवासी-सी, 101, एन. एफ. एल. विजयपुर, जिला गुना (म.प्र.) का नाम अब परिवर्तित होकर चंद्र शेखर वत्स हो चुका है और इस सूचना द्वारा शपथपूर्वक मैं, इसकी घोषणा कर रहा हूँ. अतः आज से मुझे पूर्व नाम वेणीमाधव चंद्र शेखर की जगह नए नाम चंद्र शेखर वत्स से लिखा, पुकारा एवं जाना जाए.

पुराना नाम :

(वेणीमाधव चंद्र शेखर)

नया नाम :

(चंद्र शेखर वत्स)

सी-101, एन. एफ. एल. विजयपुर,
जिला गुना (म.प्र.).

(467-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सूचना दाता का विवाह से पूर्व का नाम ज्योति सूभेदार पुत्री श्री श्रीनिवासराव सूभेदार, निवासी हरदा (म.प्र.) था. विवाह दिनांक 01-04-1986 के उपरांत मेरा नाम श्रीमति सोनाली शेवडे पत्नी सुनील कुमार शेवडे, निवासी-वार्ड नं. 7, लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास, साकेत नगर, बरेठ रोड, गंजबासौदा, जिला विदिशा (म.प्र.) हो गया है. अब मैं, परिवार, समाज व शिक्षा विभाग (म.प्र.) में इसी नाम से जानी-पहचानी एवं पुकारी जाती हूँ. यही नाम मेरे शासकीय दस्तावेजों व अन्य शासकीय कार्यों में उपयोग किया जाता है एवं यही नाम भविष्य में उपयोग किया जावें. कृपया सूचित हो.

पुराना नाम :

(ज्योति सूभेदार)

पुत्री-श्री श्रीनिवासराव सूभेदार

नया नाम :

(सोनाली शेवडे)

पत्नी-श्री सुनील कुमार शेवडे,
द्वारा-अनूप सर्वटे, एडवोकेट.

(469-बी.)

CHANGE OF NAME

I, SUKHMEET KAUR PURI do hereby solemnly affirm and declare that before marriage my name was written as ISHA in my birth certificate and in rest of my documents like Marksheets and other document my name was written as SUKHMEET KAUR SABHARWAL . Both names belong to only one person , and that person is me. Now after marriage I am changing my names as ISHA or SUKHMEET KAUR SABHARWAL to SUKHMEET KAUR PURI in my documents.

Heanceforth my new name SUKHMEET KAUR PURI should be read and write in all of my documents in future.

Old Name :

(SUKHMEET KAUR SABHARWAL)

New Name :

(SUKHMEET KAUR PURI)

(479-B.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स ज्योति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी हरदा द्वारा चांडक चौरहा हरदा, जिला हरदा (म.प्र.) जिसका पंजीयन रजिस्ट्रार फर्म एवं संस्थाएं भोपाल में पंजीयन क्रमांक 112/2002, दिनांक 22 -10-2002 को हुआ जिसके भागीदार (1) श्री गौरी शंकर अग्रवाल, (2) श्री दीपक अग्रवाल, (3) श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, (4) श्रीमति सीमा अग्रवाल, (5) श्रीमति वैशाली अग्रवाल सभी भागीदार, निवासी-हरदा (म.प्र.) जिसमें कि दिनांक 01-04-2012 को श्रीमति प्रेमलता अग्रवाल पत्नि श्री गौरी शंकर अग्रवाल स्वेच्छा से फर्म से निवृत्तमान हो गया है. उनके स्थान पर दिनांक 01-04-2012 से भागीदार क्र. (4) श्रीमति सीमा अग्रवाल पत्नि श्री दीपक अग्रवाल को भागीदार के रूप सम्मलित/शामिल किया गया है.

उक्त भागीदारी संशोधन विलेखानुसार नये साझेदार को संलेख में भागीदार के अधिकार प्राप्त होंगे.

द्वारा—
एन. के. साहू,
(अधिवक्ता)
एफ-9, एलाईड काम्पलेक्स,
मोती मस्जिद के सामने, भोपाल.

(470-बी.)

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार मेसर्स आधारशिला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी द्वारा पार्टनर श्री शरद अग्रवाल पुत्र श्री गोपी लाल अग्रवाल, आयु-वयस्क, निवासी-एचआईजी-बी-74, सेक्टर-ए, विद्या नगर, भोपाल म.प्र. के निर्देशानुसार सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेसर्स आधारशिला कन्स्ट्रक्शन कम्पनी, पंजीकृत, पता-एचआईजी-बी-74, सेक्टर-ए, विद्या नगर, भोपाल मध्यप्रदेश पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00056/06, दिनांक 13-07-2006 एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है. उक्त फर्म में से श्री वेन्कटेश्वर खेड़िया, पुत्र स्व. श्री राधेश्याम खेड़िया, आयु-वयस्क, निवासी-ग्राम बिजुरी, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश स्वेच्छा से फर्म की भागीदारी से दिनांक 01-04-2015 से अलग हो गये हैं. फर्म में किसी भी प्रकार का कोई वाद-विवाद नहीं है.

सेवाधाम लॉ चेम्बर,
एस. के. चौबे,
(एडवोकेट)
P.N.244, Chamber N.1, Basement king,
Shopping Centre, Zone-1, M.P. Nagar,
Bhopal, (M.P).

(471-बी.)

NOTICE U/S. 72 OF THE PARTNERSHIP ACT, 1932

Notice is hereby given that in the Firm M/S. ARIHANT MILK PRODUCTS, Registered office at 5/2 Malharganj Indore which was constituted vide partnership deed executed on 1st May 1990 and the initial partners were Shri Avnish Jain S/O. Shri Basantilalji Jain and Shri Ashok Surana S/o Shri Jhamaklalji Surana.

In this Firm Subsequently following changes have occurred on 1st April 1994. Shri Lalit kumar Bum S/o Shri Basantlalji Bum R/o 179, Vyanktesh Nagar Indore and Smt. Shakuntala Surana w/o Shri Mangilalji Surana R/o 252, Tilak Nagar Indore have joined the firm as partners. Thus Shri Avnish jain , Shri Ashok Surana , Shri Lalit kumar Bum and Smt. Shakuntala Surana were the 4 partners in the Firm. The ddress of the Firm was changed and it was at 58 Malharganj Indore.

Further on 1st April 1999 Shri Avnish jain and Shri Lalit kumar Bum voluntarily retired from the Firm and thus Shri Ashok Surana and Smt. Shakuntala Surana were the 2 partners.

Further on 1st October 2002 Shri Abhay Kumar Surana S/o Shri Mangilalji Surana R/o 252, Tilak Nagar Indore has joined the Firm as partner and Smt. Shakuntala Surana voluntarily retired from the partnership Firm. Thus Shri Abhay Kumar Surana and Shri Ashok Surana were the partners in the above Firm. The Address of the Firm was changed at 182 Sector-E, Industrial Area, Sanwer Road Indore.

Further W.E.F. 1st April 2015 Shri Rajat Surana S/o Shri Abhay Kumar Surana R/o 252, Tilak Nagar, Indore and Smt. Sangita Surana W/o Shri Abhay Kumar Surana R/o 252, Tilak Nagar Indore have joined the Firm as partners and Shri Ashok Surana voluntarily retired from the Firm . Now Shri Abhay Kumar Surana , Shri Rajat Surana and Smt. Sangita Surana are the running partners in the Firm.

For: M/S. Arihant Milk Products
ABHAY KUMAR SURANA,
(Partner)
182, Sector-E, Industrial Area,
Sanwer Road Indore (M.P.).

(472-B.)

PUBLIC NOTICE

This is to inform that M/s JAISUKH & COMPANY, having office at Ward No. 32- Moti Nagar Distt-Balaghat, a partnership firm incorporated on 20/08/2006, having Three Partners named as (1) Smt. Jaywantibai Lilhare, (2)Shri Sukhlal Lilhare, (3)Shri Sandeep Lilhare. That with effect from 09/09/2013 one partner Shri Sukhlal Lilhare has retired from the firm due to death and one new partner (1) Smt. Keerti Lilhare has been introduced in the firm. Thus with effect from 20/09/2013 there shall be Three number of partners in the firm namely (1) Smt. Jaywantibai Lilhare, (2) Shri Sandeep Lilhare, (3) Smt. Keerti Lilhare. This Public notice is being published for the purpose of information to be given to office of Registrar of Firms and Society.

For : M/s Jaisukh & Company
SANDEEP LILHARE
(Partner).

(473-B.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं श्री कृष्णा कर्मशीयल कम्पनी से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 19-06-2015 को साझेदारी फर्म में श्री राहुल अग्रवाल पिता श्री नरेन्द्र अग्रवाल और श्रीमति नुपुर अग्रवाल पति श्री राहुल अग्रवाल ने भागीदारी में प्रवेश लिया है. एवम् इसी दिन श्री नरेन्द्रकुमार अग्रवाल पिता श्री छगनलाल अग्रवाल और श्री आनंद माहेश्वरी पिता श्री लखनलाल माहेश्वरी ने फर्म से साझेदारी समापान लिया है. यह सूचनार्थ है कि उक्त दिनांक से फर्म में केवल 1. श्री राहुल अग्रवाल पिता श्री नरेन्द्र अग्रवाल, 2. श्री श्रीमति नुपुर अग्रवाल पति श्री राहुल अग्रवाल, 3. श्रीमति आभादेवी अग्रवाल पति श्री नरेन्द्र अग्रवाल उक्त साझेदारी फर्म में भागीदारी है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

श्री कृष्णा कर्मशीयल कम्पनी,
राहुल अग्रवाल,
(पार्टनर)
203, सी. के. कम्पाउण्ड, बहादरपुर,
बुरहानपुर (म.प्र.) 450331.

(474-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण एवं श्री कृष्णा कर्मशीयल कम्पनी से संबंधित समस्त व्यवहारियों को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि दिनांक 30-07-2015 को श्रीमति आभादेवी अग्रवाल पति श्री नरेन्द्र अग्रवाल ने फर्म से साझेदारी समापन लिया है, यह सूचनार्थ है, कि उक्त दिनांक से फर्म केवल 1. श्री राहुल अग्रवाल पिता श्री नरेन्द्र अग्रवाल, 2. श्री श्रीमति नुपुर अग्रवाल पति श्री राहुल अग्रवाल, उक्त साझेदारी फर्म में भागीदारी है. अतदर्थ सूचनार्थ प्रकाशित.

श्री कृष्णा कर्मशीयल कम्पनी,

राहुल अग्रवाल,

(पार्टनर)

203, सी. के. कम्पाउण्ड, बहादरपुर,

(475-बी.) बुरहानपुर (म.प्र.) 450331.

PUBLIC NOTICE

PUBLIC NOTICE IS HEREBY given that the partnership subsisting between the under signed Ravindra Kumar Jhala S/o Shri Motilal Jhala aged about 50 years, Resident of Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (M.P.), S hri Dharmendra Jhala S/o Shri Motilal Jhala aged about 28 years, Resident of Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (M.P.) and Smt. Ragini Pathak W/o Shri Manoj Pathak aged about 42 years, Resident of 17, Windsor Estate Phase-II, Chunabhatti, Colar Road, Bhopal (M.P.) have been carrying on the business of Civil Constructions in partnership under the name and style of M/s R. K. CONSTRUCTIONS vide partnership deed dated 01.04.2010 and duly registered at Ujjain in the office of Assistant Registrar of Firms bearing No.07/38/01/00049/04, Dated 10.03.2004 and whereas the said Smt. Ragini Pathak W/o Shri Manoj Pathak has retire from the firm w.e.f. 01/04/2013 and Shri Mayur Jhala S/o Shri Ravindra Kumar Jhala aged about 20 years, Resident of Bus Stand, Gandharvapuri, Distt. Dewas (M.P.) has joined the firm w.e.f. 01/04/2013.

Further take Notice that the said business will be carried on by under signed, continuing and incoming partner under the old name and style.

For : R. K. Constructions,

RAVINDRA KUMAR JHALA,

S/o Shri Motilal Jhala,

(Partner)

Bus Stand, Gandhravapuri,

(476-B.) Distt. Dewas (M.P.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स शुभम कन्स्ट्रक्शन फर्म जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00511/13, दिनांक 27-02-2013 पर पंजीयन है व जिसका पंजीकृत पता शॉप नं. 3, दीप मोहिनी नियर गोपाल नगर, खजूरीकलां, भोपाल मध्यप्रदेश है तथा पूर्व में फर्म में कुल पाँच भागीदार 1. श्री शुभम झॅवर पिता श्री एस. के. महेश्वरी, 2. श्री चिन्मय बजाज पिता श्री के. के. बजाज, 3. श्री विजय महेश्वरी पिता श्री दामोदर दास महेश्वरी, 4. श्री अभिषेक कॅवर पिता श्री के. पप्पू, 5. श्री ओम प्रकाश राजपूत पिता स्व. श्री नत्थू राम राजपूत है एवं दिनांक 01-04-2015 को दो नये भागीदारों को फर्म में भागीदार क्र 6 श्री आयुष पालोड/श्री अशोक पालोड व भागीदार क्र. 7 श्री दीपक बब्बर/स्व. श्री पी. एल. बब्बर भागीदार के रूप में फर्म में शामिल किया गया.

वास्ते-शुभम कन्स्ट्रक्शन फर्म,

दीपक बब्बर,

(भागीदार)

शॉप नं. 3, दीप मोहिनी नियर,

(477-बी.) गोपाल नगर, खजूरीकलां, भोपाल (म.प्र.).

आम सूचना

मैं, अपने पक्षकार नवनीत चौकसे पिता स्व. तुलसीराम चौकसे, निवासी-श्याम टाकीज के पास, वार्ड नं. 20, परासिया, तहसील परासिया, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश से अधिकृत होकर सर्व-साधारण को सूचित किया जाता हूं कि यहकि दिनांक 07-09-1999 से मैसर्स तुलसीराम चौकसे श्याम टाकीज के पास, वार्ड क्र. 20, मकान नम्बर 388, जुन्नारदेव रोड, परासिया, जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश पर कार्यालय खोला गया है. जिसमें भागीदार श्री तुलसीराम चौकसे पिता स्व. मथुराप्रसाद चौकसे की मृत्यु दिनांक 03-09-2015 को हो गयी है. अत: फर्म के बांकी भागीदारों ने

स्व. श्री तुलसीराम चौकसे पिता मथुराप्रसाद की समस्त सम्पत्ति एवं दायित्व को यथास्थिति में स्वीकार किया है जो कि उनके कानूनी उत्तराधिकारी की है. इस सूचना से यदि किसी व्यक्ति को आपत्ति हो तो फर्म के कार्यालय पर संबंधित दस्तावेज के साथ 15 दिवस के भीतर सम्पर्क करें.

फर्म रजिस्ट्रेशन नं. ज. स. 23/1999-2000, दिनांक 07 सितम्बर, 1999.

द्वारा—

नवनीत चौकसे,
(भागीदार)
श्याम टाकीज के पास, वार्ड नं. 20,
जुन्नारदेव रोड परासिया (म.प्र.).

मुकेश मौर्य,
(अधिवक्ता)
सिविल न्यायालय परासिया,
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.).

(478-बी.)

विविध

निविदा सूचनाएं

भोपाल, दिनांक 27 नवम्बर, 2015

निविदा सूचना

क्र. जी.बी.चार/पेपर(के-11) 2015-16/3368.—मुद्रण तथा लेखन सामग्री विभाग में पंजीकृत मुद्रकों, जिल्दसाजों से ग्रुप ए, बी, सी, एवं डी की आवश्यक अर्हता की पूर्ति करने वाले निविदाकारों से सचित्र कैलेण्डर एवं अन्य सामग्री को पेपर सहित मुद्रण कर प्रदाय करने हेतु आई. टी. विभाग की वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** से ऑनलाईन निविदाएं दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 अपरान्ह 2 बजे तक आमंत्रित की जाती हैं.

2. मध्यप्रदेश शासन के वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** पर निविदा सूचना, निविदा प्रपत्र एवं शर्तों को अवलोकनार्थ रखा गया है.

3. ई-टेंडरिंग में प्रस्तुत तकनीकी भाग की हार्ड कॉपी की डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 को अपरान्ह 3.00 बजे तक प्रस्तुत करना होगा. ई-टेंडरिंग का तकनीकी भाग एवं हार्ड कॉपी के लिफाफे एवं निविदाकार द्वारा प्रस्तुत नमूनों को दिनांक 11 दिसम्बर, 2015 अपरान्ह 3.30 बजे स्वेच्छा से उपस्थित निविदाकारों/प्रतिनिधियों के समक्ष खोला जावेगा.

(609)

भोपाल, दिनांक 28 नवम्बर, 2015

अल्पावधि निविदा सूचना

क्र. जी.बी.चार/(पी-1) 2015-16/3377.—*ऑनलाईन बिडिंग* **https://www.mpeproc.gov.in** पर ई-टेण्डर से तकनीकी एवं कॉमर्शियल निविदा दिनांक 14 दिसम्बर, 2015 अपरान्ह 2.00 बजे तक की-डेट्स अनुसार निर्माता या उनके अधिकृत एजेंट/डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर्स से प्रिंटिंग एवं अन्य सामग्री का क्रय शासकीय मुद्रणालय, भोपाल, ग्वालियर, इन्दौर एवं रीवा के लिये आमंत्रित की जाती है.

2. टेण्डर फार्म, शर्तें एवं निविदा के अनुबंध का प्रारूप बेवसाईट **www.govt.pressmp.nic.in** पर अवलोकन किया जा सकता है.

3. समस्त पूर्तियों के उपरांत ई-निविदा की हार्डकॉपी एवं नमूने सूची सहित अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में की-डेट्स अनुसार जमा कराना होगा. ऑनलाईन निविदा एवं हार्ड कॉपी की-डेट अनुसार अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में स्वेच्छा से उपस्थिति निविदाकारों/उनके अधिकृत प्रतिनिधियों के समक्ष खोली जावेगी.

4. सूचना/संशोधन/सुधार की स्थिति में जानकारी केवल वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर उपलब्ध रहेगी.

(610)

Bhopal, Dated 28th November, 2015

SHORT TENDER NOTICE

(Printing Articles)

No.GB-IV-Printing(1)2015-16/3377.—*ONLINE Bidding go through* IT Department Portal **https://www.mpeproc.gov.in** and Sealed Technical & Commercial E-Tenders are invited on or before 2.00 P.M. on 14 December, 2015 as per Key-Dates from the manufacturers or their Agents/Authorised Dealers for the supply of various types of printing materials for the Govt. Printing Press, Bhopal, Gwalior, Indore and Rewa.

2. Tender Document and agreement details of tender are also available at website **www.govt.pressmp.nic.in.**

3. In all respects Hard Copy of the E-Tender document and sample of the items with list (sealded) must be received at the office of the undersigned as per key dates Envelope 'A' Hard Copy of Technical Tender will be opened ONLINE as per key dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives as may be present.

4. All corrigendum/amendments/changes; if any will only be issued and made available only on **https://www.mpeproc.gov.in**

(610-A)

Bhopal, Dated 27th November, 2015

TENDER NOTICE

No.GB-IV-Machinery(16)2015-16/3360.—*ONLINE Bidding go through* **https://mpeproc.gov.in** and sealed Technical & Commercial (separately) E-Tenders are invited as per Key Dates from the manufacturers or their Agent/ Aurthorised dealers for the supply of THERMAL CTP (COMPUTER TO PLATE WITH PROCESSOR).

2. Tender Document and agreement details of tender are available at website **www.govtpressmp.nic.in**

3. In all respects Hard copy of E-Tender documents must be received at the Office of the undersigned as per Key-Dates. Envelope "A" Hard copy of technical tender will be opened ONLINE at 3.30 P.M. on 11th December, 2015 as per Key-Dates in the office of the undersigned in the presence of such tenderers or their authorised representatives.

4. All corrigendum/amendments/changes, if any will only be issued and made available on **https://mpeproc.gov.in. &www.Govt.pressmp.nic.in**

SANJEEV SINGH,
Controller,
Govt. Printing and Stationery,
Madhya Pradesh, Bhopal.

(611)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र.-05/बी-113/14-15.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि " पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मध्यप्रदेश विपश्यना समिति" ई-1/82, अरेरा कॉलोनी, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 07 सितम्बर, 2015 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करे. अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वंय अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	" पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट मध्यप्रदेश विपश्यना समिति" ई-1/82, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.
2. चल सम्पत्ति	:	निरंक
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक

आज दिनांक 05 अगस्त, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

माया अवस्थी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(606)

न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मंदसौर

प्र.क्र.-02/बी-113(1)/13-14. दिनांक 23 नवम्बर, 2015

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1)]

1. पंजीयक लोक न्यास मंदसौर, जिला मंदसौर के समक्ष "श्री कायस्थ समाज ट्रस्ट मंदसौर" अध्यक्ष मोहनलाल भटनागर है.
2. चूंकि "श्री कायस्थ समाज ट्रस्ट, मंदसौर" है. द्वारा मुख्य न्यासधारी अध्यक्ष मोहनलाल भटनागर एवं कोषाध्यक्ष केशव नारायण सक्सेना, मंदसौर मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई. सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 को विचार के लिए लिया जावेगा.
3. कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में आपत्ति करने या सुझाव देने का अधिकार रखता हो और इस सूचना, लोक न्यास है और उसका गठन करती है.
4. अत: मैं, श्रवण भण्डारी पंजीयक लोक न्यास, मंदसौर, जिला मंदसौर का लोक न्यास का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 को अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) के द्वारा अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ. अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की दिनांक से नियत पेशी दिनांक 05 दिसम्बर, 2015 के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करें और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: अथवा अभिभाषक के द्वारा उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

1. सम्पत्ति का विवरण	:	भू-खण्ड चक्रवर्ती कॉलोनी, मंदसौर में भूखण्ड क्रमांक-9 क्षेत्रफल 1150 वर्गफिट भवन एक मंजिला पक्का चित्रगुप्त मंदिर बना हुआ है. विक्रय पत्र 03/03/2008 मूल्य 6500/- रुपये.
2. अंचल सम्पत्ति	:	स्टेट बैंक, मंदसौर बचत खाता नं. 33776198130 होकर 2100/- रुपये (दो हजार एक सौ रुपये मात्र) है.
लोक न्यास का नाम	:	श्री कायस्थ समाज ट्रस्ट, मंदसौर म.प्र. है.

श्रवण भण्डारी,
पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

(607)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, सार्वजनिक न्यास, बण्डा, जिला सागर

प्र.क्र. 248बी/121/वर्ष 2014-15. बण्डा, दिनांक 20 नवम्बर, 2015 मौजा-बण्डा, तहसील बण्डा, जिला सागर.

क्र.क/6043/रीडर-1/2015.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को जरिये इश्तहार के द्वारा सूचित किया जाता है कि श्री जय शारदा दुर्गा मंदिर, तहसील बण्डा, जिला सागर के पंजीयन हेतु आवेदक बाबूसिंह पिता दरयावसिंह लोधी, निवासी बण्डा, जिला सागर द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है. उक्त मंदिर का ट्रस्ट गठन कर पंजीयन हेतु मंदिर समिति द्वारा निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:—

क्र.	प्रस्तावित नाम	पदनाम
1.	2.	3.
1.	श्री बाबूसिंह पिता दरयावसिंह लोधी सा. बण्डा	अध्यक्ष/मुहत्तमकार

1.	2.	3.
2.	श्री विनोद कुमार पिता रतीराम खटीक सा. बण्डा	उपाध्यक्ष
3.	श्री परमलाल पिता लखनलाल सेन सा. बण्डा	सचिव
4.	श्री जयकुमार पिता श्यामलाल रैकवार सा. बण्डा	सहासचिव
5.	श्री महेश कुमार पिता गनेशप्रसाद पटैल सा. बण्डा	कोषाध्यक्ष
6.	श्री बृजमोहन पिता बाबूसिंह लोधी सा. बण्डा	कार्यकारणी सदस्य
7.	श्री रामलाल पिता घम्मे पटैल सा. बण्डा	सदस्य
8.	श्री भैयाराम पिता विन्द्रावन विश्वकर्मा सा. बण्डा	सदस्य
9.	श्री मथुरापुरी पिता राजपुरी सा. बण्डा	सदस्य
10.	श्री प्यारेलाल पिता उद्देत सा. बण्डा	सदस्य

श्री जय माँ शारदा दुर्गा मंदिर समिति के नाम निम्न भूमि हैं. जिनका विवरण इस प्रकार है:-

क्र.	मौजा	खातेदार का विवरण	खसरा नं.	रकवा
1.	2.	3.	4.	5.
1.	बण्डाखास	मध्यप्रदेश शासन	773/1	19.332 हे. में से 30×40—1200 वर्गफुट भूमि.

उपरोक्तानुसार ग्राम-बण्डा स्थित शासकीय भूमि ख. नं.-773/1, रकवा 19.332 हे. में से 30×40—1200 वर्गफुट भूमि पर श्री शारदा माता जी मंदिर समिति बनाये एवं मुहत्तमकार व कमेटी गठित किये जाने पर जिस किसी भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो या अपना सुझाव देना चाहते हों तो वह अपनी लिखित आपत्ति या सुझाव इस न्यायालय में पेशी दिनांक 24 नवम्बर, 2015 को न्यायालयीन समय में स्वयं या अपने अपने वैध अधिकृत व्यक्ति/अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. बाद म्याद गुजरने पर आपत्ति या सुझाव को स्वीकार नहीं किया जावेगा.

इश्तहार आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से जारी.

पेशी दिनांक 24 नवम्बर, 2015.

बी. बी. पाण्डेय,
अनुविभागीय अधिकारी.

(608)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरार, जिला ग्वालियर

प्र.क्र. 01/2015-16/बी-113(1). ग्वालियर, दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 का 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

डॉ. अमर तिवारी, आयु 30 पुत्र श्री रमेशचंद तिवारी वर्श, निवासी-डिफेन्स स्कूल के पास त्यागी नगर मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश, लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयक के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 30 नवम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	पं. रामदीन चैरिटेबिल ट्रस्ट. एम. एच. चौराहा पृथ्वीराज मार्ग, मुरार, ग्वालियर मध्यप्रदेश 474006.
2. चल सम्पत्ति	:	11,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

(605)

ग्वालियर, दिनांक 02 नवम्बर, 2015

प्र.क्र. 02/2015-16/बी-113(1).

प्रारूप-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951 की 30) की धारा-5 की उपधारा (2) और

मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 का नियम-5 (1) देखिए]

श्री हरनारायण शर्मा पुत्र स्व. श्री रामदुलारे शर्मा, निवासी-371, जीवाजी नगर ठाठीपुर, ग्वालियर मध्यप्रदेश, लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 की 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूची में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिये आवेदन किया है. एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को विचार के लिये दिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे जिसका कि वह गठन करती है.

अत: मैं, पंजीयक, लोक न्यास, अनुविभागीय ग्वालियर लोक न्यासों का पंजीयक अपने न्यायालय में दिनांक 03 दिसम्बर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (1) में द्वारा यह अपेक्षित जांच करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासधारी या उसमें हित रखने वाली और किसी आपत्ति का सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिये. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा सम्पत्ति का वर्णन)

1. लोक न्यास का नाम और पता	:	श्री राधाकृष्ण सेवा न्यास 371, जीवाजी नगर, ठाठीपुर, ग्वालियर.
2. चल सम्पत्ति	:	5,000/- रुपये.
3. अचल सम्पत्ति	:	निरंक.

अखिलेश कुमार जैन,
पंजीयक.

(603)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार लोक न्यास, शिवपुरी

प्र.क्र. 01/2015-16/बी-113. दिनांक 30 अक्टूबर, 2015

देखे नियम

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम 1962 के नियम-5 (1) के तहत्]

चूँकि गुरु श्री नारायण प्रसाद गौ सेवा समिति ग्राम श्यामपुर, जिला शिवपुरी द्वारा श्री नारायण प्रसाद गौ सेवा समिति श्यामपुर सतनवाड़ा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये लोक न्यास हेतु आवेदन-पत्र पेश किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र मेरे न्यायालय में दिनांक 13 अगस्त, 2015 को विचार में लिया गया है. कोई भी व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखते हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो तो लिखित में 2-2 प्रतियों में इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के एक माह के अन्दर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष में स्वंय या अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर लिखित आपत्तियॉ प्रस्तुत कर सकते है.

उपरोक्त अवधि के अवसान के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	गुरु श्री नारायण प्रसाद गौ सेवा समिति पब्लिक ट्रस्ट श्यामपुर सतनवाडा खुर्द.
पता	:	गुरु श्री नारायण प्रसाद गौ सेवा समिति पब्लिक ट्रस्ट श्यामपुर सतनवाडा खुर्द, तहसील व जिला शिवपुरी.
चल सम्पत्ति	:	35 गायें.
अचल सम्पत्ति	:	निल.

नीतू माथुर,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(602)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, सागर

फार्म-4

[नियम-5 (1) देखिए]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-5 (1) के द्वारा]

आवेदक श्री कमलेश कण्डया पिता स्व. श्री लक्ष्मीनाराण कण्डया, निवासी कण्डया काम्पलेक्स सराफा बाजार, सागर अखिल भारतीय श्री तारण तरण दिगम्बर जैन महासभा ट्रस्ट, सागर म.प्र. तहसील सागर द्वारा नियम-4 (1) मध्यप्रदेश सार्वजनिक न्यास विधान के अंतर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत कर अखिल भारतीय श्री तारण तरण दिगम्बर जैन महासभा ट्रस्ट सागर मध्यप्रदेश न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया है जिसकी सुनवाई इस न्यायालय में दिनांक 21 जून, 2015 को प्रात: 11.00 बजे की जावेगी.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

लोक न्यास का नाम	:	अखिल भारतीय श्री तारण तरण दिगम्बर जैन महासभा ट्रस्ट, सागर
पता	:	चमेली चौक सागर.
चल/अचल सम्पत्ति	:	मध्यांचल ग्रामीण बैंक में जमा राशि 2,00,000/- एवं दान 0.25 डिसमिल भूमि.

कमल सोलंकी,
अनुविभागीय अधिकारी.

(597)

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा

प्र.क्र. 01/बी-121/15-16. रीवा, दिनांक 16 अक्टूबर, 2015

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम (1951) (30) की धारा-5 की उपधारा (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 का नियम (1)]

श्री यदुनाथ बौद्ध पिता स्व. श्री घासिल प्रसाद, निवासी विक्रम बुद्ध बिहार 38/502, चौपडा स्कूल के पीछे बिछिया रीवा (म.प्र.) मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अधीन अनुसूचित में लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट की गई सम्पत्ति के पंजीयन के लिए आवेदन किया है, एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि आवेदन मेरे न्यायालय में दिनांक 07 दिसम्बर, 2015 को विचारण के लिए लिया जावेगा.

कोई व्यक्ति जो उक्त न्यास या सम्पत्ति में हित रखता हो और उस बारे में कोई आपत्तियां करने या सुझाव देने पर विचार रखता हो, तो उसे इस सूचना को लोक न्यास को दे, जिसका कि वह गठन करती है.

अतएव मैं, पंजीयक लोक न्यास, अनुविभागीय अधिकारी, तहसील त्योंथर, जिला रीवा लोक न्यासों का पंजीयन अपने न्यायालय में दिनांक 16 अक्टूबर, 2015 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा-1 द्वारा अपेक्षित करना प्रस्तावित करता हूँ.

अत: एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त न्यास या सम्पत्ति का कोई न्यासधारी या कार्यकारी न्यासकारी या उसमें हित रखने वाले और किसी आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करने का विचार रखने वाले व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से 1 माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना और कोर्ट में मेरे समक्ष उपरोक्त दिनांक को या तो व्यक्तिश: या अभिभाषक या अभिकर्ता के द्वारा उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार के लिए ग्रहण नहीं किया जावेगा.

लोक न्यास का नाम व पता : महाकवि विनीत विक्रम बौद्ध संस्थान (न्यास)
आराजी नं. 23/02/02 रकवा 4 एकड स्थिति
बौद्ध स्तूप तिराहा देउर कोठार, तहसील-त्योंथर,
जिला-रीवा (म.प्र.).

के. पी. पाण्डेय,
(604) पंजीयक एवं अनुविभागीय अधिकारी.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

माँ शेरा वाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर, जिसका पंजीयन क्रमांक/डी. आर./जी.डब्ल्यू. आर./223, दिनांक 19 जनवरी, 1995 को प्रतिवर्ष समय-समय पर अंकेक्षण न कराये जाने से अक्रियाशीलता एवं दायित्व हीनता व्यक्त होने एवं संस्था द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रबंधकीय विधान का पालन न करने से, उक्त आरोपों का उत्तर प्रस्तुत किये जाने हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत कार्यालयीन आदेश क्र./परि./15/1412, दिनांक 11 अगस्त, 2015 के माध्यम से "कारण बताओ सूचना-पत्र" जारी करते हुए दिनांक 14 सितम्बर, 2015 को व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर प्रदान किया गया. उक्त सूचन-पत्र का प्रकाशन राजपत्र में दिनांक 21 अगस्त, 2015 को पृष्ठ क्रमांक 1402 पर हो चुका है. निर्धारित समयावधि में संस्था द्वारा कोई उत्तर अथवा पक्ष समर्थन प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: यह माना जाकर कि संस्था को उक्त आरोपो के विषय में कुछ नहीं कहना है एवं उक्त आरोप स्वीकार है. मैं, संजय दलेला, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, ग्वालियर, मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के तहत् माँ शेरा वाली गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायित्वों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अजय आहुजा, सहकारी निरीक्षक, को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 15 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

संजय दलेला,
(598) उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटी, सतना

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/398, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़हाकला (पं. क्र. 694, दिनांक 05 मई, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मुड़हाकला को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/397, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या.,भटगंवा (पं. क्र. 687, दिनांक 05 फरवरी, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भटगंवा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/396, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वचवई (पं. क्र. 686, दिनांक 05 फरवरी, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., वचवई को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/390, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर (पं. क्र. 671, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कंचनपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/374, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निपनियां बैलेहिया (पं. क्र. 639, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., निपनियां बैलेहिया को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/373, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुर (पं. क्र. 638, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शाहपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री राजेश श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/372, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैगांव (पं. क्र. 637, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रैगांव को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/371, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धौरहरा (पं. क्र. 636, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धौरहरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/350, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ससुआर (पं. क्र. 587, दिनांक 30 सितम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., ससुआर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/349, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दिदौध (पं. क्र. 586, दिनांक 30 सितम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दिदौध को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/348, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रूनेही (पं. क्र. 585, दिनांक 30 सितम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रूनेही को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/346, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौहार (पं. क्र. 583, दिनांक 30 सितम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मौहार को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री गेहचन्द पटेल, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/413, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरहूत (पं. क्र. 739, दिनांक 20 मार्च, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरहूत को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री लालजी शर्मा , उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

- यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/399, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी कुर्मिहाई (पं. क्र. 695, दिनांक 05 मई, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सेमरी कुर्मिहाई को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री लालजी शर्मा, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/365, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुढ़ा (पं. क्र. 630, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गुढ़ा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री लालजी शर्मा, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/360, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगुना (पं. क्र. 618, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवगुना को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री लालजी शर्मा, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/354, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिघरा (पं. क्र. 600, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., तिघरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री लालजी शर्मा, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/341, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरहठी (पं. क्र. 573, दिनांक 29 जनवरी, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., नरहठी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री लालजी शर्मा, उप-अंकेक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/409, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुआ (पं. क्र. 732, दिनांक 22 फरवरी, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धतुआ को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/422, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोधपुर (पं. क्र. 760, दिनांक 19 जून, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोधपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/386, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरा (पं. क्र. 659, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/355, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धौरहरा (पं. क्र. 601, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धौरहरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/338, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिन्ना (पं. क्र. 411, दिनांक 11 मई, 2004) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झिन्ना को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/337, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढ़ा (पं. क्र. 487, दिनांक 16 मई, 2004) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मढ़ा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. के. गुप्ता, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(592-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/405, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भदनपुर (पं. क्र. 717, दिनांक 23 जनवरी, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भदनपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/395, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करूआ (पं. क्र. 683, दिनांक 31 जनवरी, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करूआ को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/383, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा (पं. क्र. 652, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/381, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरौली (पं. क्र. 648, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरौली को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/378, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराखुर्द (पं. क्र. 645, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बराखुर्द को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/377, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरेवा (पं. क्र. 644, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भरेवा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/376, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोयलारी (पं. क्र. 643, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोयलारी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/375, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आमातारा (पं. क्र. 642, दिनांक 11 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., आमातारा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-G)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/356, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुठिलगंवा (पं. क्र. 606, दिनांक 11 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुठिलगंवा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-H)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/353, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मठूरा (पं. क्र. 598, दिनांक 06 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मठूरा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-I)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/412, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करौदी काप (पं. क्र. 735, दिनांक 02 मार्च, 2015) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., करौदी काप को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री नरेन्द्र सिंह, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-J)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/423, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ कोठार (पं. क्र. 769, दिनांक 03 जुलाई, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., हरदुआ कोठार को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-K)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/425, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरीखुर्द (पं. क्र. 776, दिनांक 18 जुलाई, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवरीखुर्द को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-L)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/404, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनाड़ी (पं. क्र. 716, दिनांक 23 जनवरी, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बम्हनाड़ी रामनगर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-M)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/400, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिरगौती (पं. क्र. 696, दिनांक 05 मई, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मिरगौती को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-N)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/394, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सगौनी (पं. क्र. 679, दिनांक 31 जनवरी, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सगौनी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-O)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/393, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौहानी (पं. क्र. 676, दिनांक 31 जनवरी, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौहानी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-P)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/387, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौहानी (पं. क्र. 662, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गौहानी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-Q)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/362, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसमासी कला (पं. क्र. 622, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मसमासी कला को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-R)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/361, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहरवां (पं. क्र. 619, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मोहरवां को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-S)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/359, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरैना (पं. क्र. 617, दिनांक 21 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पुरैना को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री धनश्याम पाण्डेय, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-T)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/420, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदरखां (पं. क्र. 750, दिनांक 08 मई, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बदरखां को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-U)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/424, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेहूठा (पं. क्र. 775, दिनांक 18 जुलाई, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेहूठा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-V)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/427, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़वाखुर्द (पं. क्र. 779, दिनांक 25 अगस्त, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गढ़वाखुर्द को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-W)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/406, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रघुनाथपुर (पं. क्र. 721, दिनांक 25 जनवरी, 2012) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रघुनाथपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-X)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/403, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोटर (पं. क्र. 711, दिनांक 11 नवम्बर, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोटर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-Y)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/392, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मतहा (पं. क्र. 674, दिनांक 31 जनवरी, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मतहा को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(593-Z)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/391, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिछहरी (पं. क्र. 673, दिनांक 04 जनवरी, 2011) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रिछहरी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(594)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/388, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिकरी (पं. क्र. 663, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., टिकरी को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(594-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/385, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अकौना (पं. क्र. 657, दिनांक 23 दिसम्बर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अकौना को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(594-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/370, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनवाह (पं. क्र. 635, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लखनवाह को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(594-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/345, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर (पं. क्र. 577, दिनांक 05 मार्च, 2010) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(594-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/339, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवमऊ रामपुर (पं. क्र. 506, दिनांक 27 नवम्बर, 2004) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., देवमऊ रामपुर को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(594-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/336, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह (पं. क्र. 481, दिनांक 23 मार्च, 2004) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरदाडीह को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(594-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

कार्यालयीन पत्र क्र./परि./15/335, दिनांक 29 अप्रैल, 2015 द्वारा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामस्थान (पं. क्र. 478, दिनांक 23 मार्च, 2004) जिसे आगे केवल संस्था संबंधित किया गया है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था. संस्था से यह अपेक्षा की गई थी, कि वह नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं का समाधानकारक उत्तर प्रस्तुत करें, किन्तु संस्था द्वारा नियत समय पर कारण बताओ सूचना-पत्र को कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया, जिससे यह स्पष्ट होता है कि, संस्था को जारी कारण बताओ सूचना-पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है एवं वर्णित आरोप मान्य है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रामस्थान को परिसमापन में लाया जाकर अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. एल. कमरानी, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया जाता है साथ ही परिसमापक को निर्देशित किया जाता है कि, उक्त संस्था के परिसमापक का तत्काल प्रभार ग्रहण कर संस्था की समस्त अस्तियों एवं दायित्वों का विधिवत् निराकरण 03 माह के भीतर अनिवार्य रूप से किया जाकर संस्था के पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही हेतु अंतिम प्रतिवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 28 अक्टूबर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

आर. पी. पाल,
उप-रजिस्ट्रार.

(594-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खण्डवा

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1142.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/383, खण्डवा, दिनांक 27 मई, 2015 के द्वारा गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायपुर, पंजीयन क्रमांक 1930, दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खंण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., रायपुर, पंजीयन क्रमांक 1930, दिनांक 22 अक्टूबर, 2004 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1143.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/607, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा संत श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सराय, पंजीयन क्रमांक 2043, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए संत श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सराय, पंजीयन क्रमांक 2043, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-A)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1144.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/774, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा खण्डवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2261, दिनांक 25 जुलाई, 2014 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए खण्डवा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2261, दिनांक 25 जुलाई, 2014 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-B)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1145.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/845, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा तिरूपति क्रय-बिक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., बलरामपुर, पंजीयन क्रमांक 1933, दिनांक 28 जनवरी, 2005 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए तिरूपति क्रय-विक्रय एवं विपणन सहकारी संस्था मर्या., बलरामपुर, पंजीयन क्रमांक 1933, दिनांक 28 जनवरी, 2005 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-C)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1146.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/395, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा सरदार वल्लभाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 21 जनवरी, 1974 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए सरदार वल्लभाई पटेल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 43, दिनांक 21 जनवरी, 1974 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-D)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1147.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/609, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा गायत्री फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कोहदड़, पंजीयन क्रमांक 2039, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए गायत्री फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कोहदड़, पंजीयन क्रमांक 2039, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-E)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1148.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/432, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा श्री सत्यसांई क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., खेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2037, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए श्री सत्यसांई क्रय-विक्रय सहकारी संस्था मर्या., खेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2037, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-F)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1149.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/415, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा मोठीमाता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छैगांवमाखन, पंजीयन क्रमांक 1681, दिनांक 15 फरवरी, 1999 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री आर. एल. मंगवानी, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए मोठीमाता प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., छैगांवमाखन, पंजीयन क्रमांक 1681, दिनांक 15 फरवरी, 1999 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-G)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1150.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/318, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा आदर्श परिवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए आदर्श परिवार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1184, दिनांक 15 अक्टूबर, 1979 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-H)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1151.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/444, खण्डवा, दिनांक 01 जून, 2015 के द्वारा जय बजट बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बांगरदा, पंजीयन क्रमांक 2106, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख)

के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त, (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए जय बजट बाबा मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बांगरदा, पंजीयन क्रमांक 2106, दिनांक 02 सितम्बर, 2008 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-I)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1152.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/383, खण्डवा, दिनांक 27 मई, 2015 के द्वारा लक्ष्मीमाता ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 03 अगस्त, 1998 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री संतोष पाटीदार, उप-अंकेक्षक, सहायक-आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए लक्ष्मीमाता ईंट-भट्टा सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1674, दिनांक 03 अगस्त, 1998 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-J)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1153.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/818, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा श्री तिरूपति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2315, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए श्री तिरूपति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2315, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-K)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1154.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/821, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा सिद्धी विनायक महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2318, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए सिद्धी विनायक महिला उद्योग सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2318, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-L)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1155.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/820, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा माँ रेवा अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ओंकारेश्वर, पंजीयन क्रमांक 2317, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए माँ रेवा अल्प बचत साख सहकारी संस्था मर्या., ओंकारेश्वर, पंजीयन क्रमांक 2317, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-M)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1156.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/817, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा पत्रोपाधि अभियन्ता परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2314, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री गोपाल ताम्रकार, सहकारी निरीक्षक, सहायक-आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए पत्रोपाधि अभियन्ता परस्पर साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2314, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-N)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1157.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/827, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा गोल्डन व्यावसायिक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2308, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एच. सी. महाजन, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए गोल्डन व्यावसायिक साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2308, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्ति करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-O)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1158.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/630, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा माँ जगदम्बा आदि. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पटाजन, पंजीयन क्रमांक 2162, दिनांक 24 जून, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर को प्रशासक नियुक्त किया गया है.

प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए माँ जगदम्बा आदि. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., पटाजन, पंजीयन क्रमांक 2162, दिनांक 24 जून, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-P)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1159.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/631, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्री गंगा आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., दगड़खेडी, पंजीयन क्रमांक 2163, दिनांक 25 जुलाई, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, म.प्र. मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए श्री गंगा आदि. मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., दगड़खेडी, पंजीयन क्रमांक 2163, दिनांक 25 जुलाई, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-Q)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1160.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/628, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा आदर्श आदि. विस्था. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बिजोरामाफी पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए आदर्श आदि. विस्था. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बिजोरामाफी पंजीयन क्रमांक 2164, दिनांक 18 अप्रैल, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-R)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1161.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/616, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., बोरखेड़ाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 2055, दिनांक 01 अगस्त, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एस. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए जय भोले फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., बोरखेड़ाखुर्द, पंजीयन क्रमांक 2055, दिनांक 01 अगस्त, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-S)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1162.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/613, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जयश्री राम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुडीखेडा, पंजीयन क्रमांक 2052, दिनांक 02 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एस. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए जयश्री राम फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुडीखेडा, पंजीयन क्रमांक 2052, दिनांक 02 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-T)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1163.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/614, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जय काली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., लुन्हार, पंजीयन क्रमांक 2053, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एस. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए जय काली फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., लुन्हार, पंजीयन क्रमांक 2053, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-U)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1164.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/617, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., इटवारैयत, पंजीयन क्रमांक 2057, दिनांक 01 अगस्त, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एस. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए श्री बालाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., इटवारैयत, पंजीयन क्रमांक 2057, दिनांक 01 अगस्त, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-V)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1165.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/615, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, पंजीयन क्रमांक 2054, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एम. एस. श्रीवास्तव, उप-अंकेक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक

नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए सिंगाजी फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., सेमल्या, पंजीयन क्रमांक 2054, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-W)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1166.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/618, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा शिवशक्ति फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कुमठा, पंजीयन क्रमांक 2044, दिनांक 28 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए शिवशक्ति फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., कुमठा, पंजीयन क्रमांक 2044, दिनांक 28 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-X)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1167.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/605, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा राधाकृष्ण फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., भिलाईखेडा, पंजीयन क्रमांक 2041, दिनांक 27 जुलाई, 2012 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए राधाकृष्ण फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., भिलाईखेडा, पंजीयन क्रमांक 2041, दिनांक 27 जुलाई, 2012 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-Y)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1168.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/605, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगांवबुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 1809, दिनांक 19 मार्च, 2002 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए श्रीराम जल ग्रहण बांध निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बोरगांवबुजुर्ग, पंजीयन क्रमांक 1809, दिनांक 19 मार्च, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(599-Z)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1169.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/463, खण्डवा, दिनांक 02 जून, 2015 के द्वारा बड्डर समाज कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1431, दिनांक 12 जनवरी, 1990 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए बड्डर समाज कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1431, दिनांक 12 जनवरी, 1990 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(600)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1170.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/780, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा न्यू क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2295, दिनांक 07 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री दीपक झवर, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए न्यू क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी, खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2295, दिनांक 07 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(600-A)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1171.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/610, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा माँ वैष्णव फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेडा, पंजीयन क्रमांक 2040, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. खेडे, सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए माँ वैष्णव फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., गुजरीखेडा, पंजीयन क्रमांक 2040, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(600-B)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1172.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/418, खण्डवा, दिनांक 29 मई, 2015 के द्वारा शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1843, दिनांक 07 फरवरी, 2002 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख)

के अंतर्गत श्री उस्मान खान, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए शिवशक्ति साख सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1843, दिनांक 07 फरवरी, 2002 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(600-C)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1173.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/807, खण्डवा, दिनांक 07 अगस्त, 2015 के द्वारा महर्षि रोजगार निर्माण कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2320, दिनांक 10 फरवरी, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री एस. एस. मंडलोई, वरि. सहकारी निरीक्षक, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए महर्षि रोजगार निर्माण कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 2320, दिनांक 10 फरवरी, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(600-D)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1174.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/624, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा जय भेरूबाबा आदि. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बेड़ानी, पंजीयन क्रमांक 2161, दिनांक 08 अप्रैल, 2011 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री राम मनोहर तिवारी, सहायक प्रबंधक, मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ मर्या., नर्मदानगर को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए जय भेरूबाबा आदि. मत्स्य सहकारी संस्था मर्या., बेड़ानी, पंजीयन क्रमांक 2161, दिनांक दिनांक 08 अप्रैल, 2011 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(600-E)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1175.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/457, खण्डवा, दिनांक 02 जून, 2015 के द्वारा निमाड़ महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1588, दिनांक 21 जुलाई, 2015 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्री ओ. पी. दुबे, वरि. सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है .—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए निमाड़ महिला प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., खण्डवा, पंजीयन क्रमांक 1588, दिनांक 21 जुलाई, 2015 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(600-F)

खण्डवा, दिनांक 06 नवम्बर, 2015

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत्]

क्र.परि./2015/1176.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/निर्वा./2015/606, खण्डवा, दिनांक 29 जून, 2015 के द्वारा श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा, पंजीयन क्रमांक 2042, दिनांक 27 जुलाई, 2007 के संचालक मण्डल के स्थान पर अधिनियम की धारा-49 (7-क) (ख) के अंतर्गत श्रीमती भागवती मोरे, सहकारी निरीक्षक, सहायक आयुक्त (अंकेक्षण), सहकारिता, जिला खण्डवा को प्रशासक नियुक्त किया गया है. प्रशासक के द्वारा निम्न कारणों से समिति को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.—

1. संस्था पंजीयन दिनांक से ही अकार्यशील है.
2. संस्था के कार्य के प्रति सदस्यों द्वारा रुची नहीं ली जा रही है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन नहीं कराया जा रहा है.
4. संस्था उद्देश्यों की प्राप्ति में असफल रही है.

उक्त कारणों से संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, मदन गजभिये, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, खण्डवा, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(3) के तहत् प्रदत्त अधिकार जो कि मुझे मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त किए गए हैं का प्रयोग करते हुए श्री सांई फसल संरक्षण सहकारी संस्था मर्या., टाकलखेडा, पंजीयन क्रमांक 2042, दिनांक 27 जुलाई, 2007 को यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी करता हूँ कि, क्यों न उक्त वर्णित कारणों से मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर परिसमापक नियुक्त किया जावे.

संस्था के प्रशासक/संचालक मण्डल को अवसर प्रदत्त किया जाता है कि इस कारण बताओ सूचना-पत्र के प्राप्त करने से 30 दिवस के अंदर आप उक्त वर्णित बिन्दुओं पर अपना लिखित उत्तर इस कार्यालय में उपस्थित होकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करें. निर्धारित अवधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जावेगा कि आपको उक्त बिन्दुओं के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कारण बताओ सूचना-पत्र की विषयवस्तु से संस्था सहमत है, इस आधार पर प्रस्तावित आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 06 नवम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

मदन गजभिये,
उप-रजिस्ट्रार.

(600-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर मालवा

आगर मालवा, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.परि./2015/178.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70-(1) के तहत् मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन में लाया गया था :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम एवं पद	संशोधित परिसमापक का नाम एवं पद
1.	नवीन चर्मोद्योग सहकारी संस्था मर्या., आगर.	373/01-09-1986	श्री आर. सी. बीजापारी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	श्री गोपाल माहेश्वरी उप-अंकेक्षक.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., आखाखेडी आगर.	268/17-07-1981	श्री आर. सी. बीजापारी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	श्री गोपाल माहेश्वरी उप-अंकेक्षक.

दिनांक 16 अगस्त, 2013 से नवगठित, जिला आगर मालवा के पृथक् से अस्तित्व में आने के कारण तथा जिला आगर मालवा में पृथक् से कर्मचारियों की पद स्थापना होने के कारण क्रमांक 4 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम 5 में अंकित श्री गोपाल माहेश्वरी, पद नाम उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्थाओं का मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापन नियुक्त करता हूँ. नव नियुक्त परिसमापक, पूर्व परिसमापक से संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड/चार्ज प्राप्त कर एक सप्ताह में कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कर्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(601)

आगर मालवा, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.परि./2015/179.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70-(1) के तहत् मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन में लाया गया था :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम एवं पद	संशोधित परिसमापक का नाम एवं पद
1.	प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., नलखेड़ा.	569/07-01-1991	श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक.	श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक.
2.	नवीन कालीन बुनकर उद्योग सहकारी संस्था मर्या., सूदवास.	373/19-06-1986	श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक.	श्री के. के. कांगले, सहकारी निरीक्षक.

दिनांक 16 अगस्त, 2013 से नवगठित, जिला आगर मालवा के पृथक् से अस्तित्व में आने के कारण तथा जिला आगर मालवा में पृथक् से कर्मचारियों की पद स्थापना होने के कारण क्रमांक 4 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम 5 में अंकित श्री गोपाल माहेश्वरी, पद नाम उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्थाओं का मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापक नियुक्त करता हूँ. नव नियुक्त परिसमापक, पूर्व परिसमापक से संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड/चार्ज प्राप्त कर एक सप्ताह में कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कर्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(601-A)

आगर मालवा, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.परि./2015/180.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70-(1) के तहत् मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन में लाया गया था :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम एवं पद	संशोधित परिसमापक का नाम एवं पद
1.	नवीन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., सोयतकलां.	868/31-10-2003	श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक.	श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., लौलकी, सुसनेर.	483/21-03-1988	श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक.	श्री मनोहर कैथवास, सहकारी निरीक्षक.

दिनांक 16 अगस्त, 2013 से नवगठित, जिला आगर मालवा के पृथक् से अस्तित्व में आने के कारण तथा जिला आगर मालवा में पृथक् से कर्मचारियों की पद स्थापना होने के कारण क्रमांक 4 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम 5 में अंकित श्री गोपाल माहेश्वरी, पद नाम उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्थाओं का मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापक नियुक्त करता हूँ. नव नियुक्त परिसमापक, पूर्व परिसमापक से संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड/चार्ज प्राप्त कर एक सप्ताह में कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कर्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(601-B)

आगर मालवा, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.परि./2015/181.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70-(1) के तहत् मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन में लाया गया था :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम एवं पद	संशोधित परिसमापक का नाम एवं पद
1.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., कांकरिया	295/11-10-1984	श्री योगेश शर्मा, सहकारी निरीक्षक.	श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक.
2.	महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बाईगांव.	964/10-01-2008	श्री नवीन शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	श्री पं. विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक.

दिनांक 16 अगस्त, 2013 से नवगठित, जिला आगर मालवा के पृथक् से अस्तित्व में आने के कारण तथा जिला आगर मालवा में पृथक् से कर्मचारियों की पद स्थापना होने के कारण क्रमांक 4 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम 5 में अंकित श्री पं. विनोद शर्मा, पद नाम सहकारी निरीक्षक को उपरोक्त संस्थाओं का मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापक नियुक्त करता हूँ. नव नियुक्त परिसमापक, पूर्व परिसमापक से संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड/चार्ज प्राप्त कर एक सप्ताह में कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कर्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(601-C)

आगर मालवा, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.परि./2015/182.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70-(1) के तहत् मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन में लाया गया था :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम एवं पद	संशोधित परिसमापक का नाम एवं पद
1.	चर्मकार सहकारी संस्था मर्या., कानड.	666/23-06-1958	श्री मनीष चौधरी, सहकारी निरीक्षक.	श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सह. निरीक्षक.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., सनावदी.	630/30-06-1994	श्री आर. सी. बीजापारी वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	श्री बी. एस. सौलंकी, वरिष्ठ सह. निरीक्षक.

दिनांक 16 अगस्त, 2013 से नवगठित, जिला आगर मालवा के पृथक् से अस्तित्व में आने के कारण तथा जिला आगर मालवा में पृथक् से कर्मचारियों की पद स्थापना होने के कारण क्रमांक 4 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम 5 में अंकित श्री बी. एस. सौलंकी,, पद नाम वरिष्ठ सह. निरीक्षक को उपरोक्त संस्थाओं का मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापक नियुक्त करता हूँ. नव नियुक्त परिसमापक, पूर्व परिसमापक से संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड/चार्ज प्राप्त कर एक सप्ताह में कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कर्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(601-D)

आगर मालवा, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.परि./2015/183.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी

अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70-(1) के तहत् मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन में लाया गया था :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम एवं पद	संशोधित परिसमापक का नाम एवं पद
1.	वृक्ष उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., लक्ष्मीखेडा.	698/28-12-1998	श्री नवीन शर्मा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सह.निरीक्षक.
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कराडिया.	478/29-03-1988	श्री पंडित विनोद शर्मा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सह.निरीक्षक.
3.	कस्तूरबा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., बड़ागाँव.	472/17-06-1994	श्री अशोक बोहरा, सहकारी निरीक्षक.	श्री आर. एस. गरेठिया, वरिष्ठ सह.निरीक्षक.

दिनांक 16 अगस्त, 2013 से नवगठित, जिला आगर मालवा के पृथक् से अस्तित्व में आने के कारण तथा जिला आगर मालवा में पृथक् से कर्मचारियों की पद स्थापना होने के कारण क्रमांक 4 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम 5 में अंकित श्री गोपाल माहेश्वरी, पद नाम उप-अंकेक्षक को उपरोक्त संस्थाओं का मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापक नियुक्त करता हूँ. नव नियुक्त परिसमापक, पूर्व परिसमापक से संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड/चार्ज प्राप्त कर एक सप्ताह में कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कर्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(601-E)

आगर मालवा, दिनांक 22 सितम्बर, 2015

क्र.परि./2015/185.—उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला शाजापुर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70-(1) के तहत् मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए परिसमापन में लाया गया था :-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम एवं पद	संशोधित परिसमापक का नाम एवं पद
1.	आगर लघु उद्योग सहकारी संस्था मर्या., आगर.	07/03-01-1969	श्री आर. सी. बीजापारी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.	श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सह.निरीक्षक.
2.	दुग्ध सहकारी संस्था मर्या., बिजनाखेडी	580/27-07-1991	श्री एन. एस. भाटी, अंकेक्षण अधिकारी.	श्री आर. एस. जरिया, वरिष्ठ सह.निरीक्षक.

दिनांक 16 अगस्त, 2013 से नवगठित, जिला आगर मालवा के पृथक् से अस्तित्व में आने के कारण तथा जिला आगर मालवा में पृथक् से कर्मचारियों की पद स्थापना होने के कारण क्रमांक 4 में अंकित परिसमापक के स्थान पर कॉलम 5 में अंकित श्री आर. एस. जरिया, पद नाम वरिष्ठ सह.निरीक्षक को उपरोक्त संस्थाओं का मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा पंजीयक की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये परिसमापक नियुक्त करता हूँ. नव नियुक्त परिसमापक, पूर्व परिसमापक से संस्था से सम्बन्धित सम्पूर्ण रिकार्ड/चार्ज प्राप्त कर एक सप्ताह में कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें तथा अंतिम प्रतिवेदन नियमानुसार प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 सितम्बर, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कर्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आर. एस. गौर,
उप-रजिस्ट्रार.

(601-F)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 49] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 4 दिसम्बर 2015-अग्रहायण 13, शके 1937

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 5 अगस्त, 2015

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के अधिकांश जिलों में वर्षा का होना पाया गया है :—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील लहार (भिण्ड), ग्वालियर (ग्वालियर), निवाड़ी, पृथ्वीपुर, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), नौगांव (छतरपुर), मझगवां (सतना), पाली (उमरिया), श्यामगढ़, सीतामऊ (मंदसौर), थांदला (झाबुआ) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील गोहद (भिण्ड), राधोगढ़, बमोरी, आरोन (गुना), राजनगर (छतरपुर), पन्ना (पन्ना), रामपुरनैकिन (सीधी), सुवासराटप्पा, मल्हारगढ़, गरोठ, धुन्धड़का, संजीत, कयामपुर (मंदसौर), मेघनगर, पेटलावद, झाबुआ, राणापुर (झाबुआ), अलीराजपुर, सोण्डवा (अलीराजपुर), सिलवानी (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील अशोकनगर (अशोकनगर), गुना, कुंभराज (गुना), लवकुशनगर, छतरपुर, बक्स्वाहा (छतरपुर), रामपुरबघेलान, उचेहरा, अमरपाटन (सतना), हनुमना, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), मंदसौर (मंदसौर), जोबट, च. शेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), रायसेन, गैरतगंज, बाड़ी (रायसेन), होशंगाबाद, बावई (होशंगाबाद), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील मुंगावली, ईसागढ़, चन्देरी (अशोकनगर), चांचोड़ा (गुना), टीकमगढ़, वल्देवगढ़ (टीकमगढ़), बिजावर, बड़ामल्हरा (छतरपुर), अजयगढ़, गुन्नौर, पवई, शाहनगर (पन्ना), रघुराजनगर, नागौद, रामनगर, मैहर, बिरसिंहपुर (सतना), त्योंथर, सिरमोर, मऊगंज, हुजूर, गुढ़ (रीवा), कोतमा, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), बांधवगढ़ (उमरिया), गोपदबनास, सिंहावल, मंझोली, कुसमी, चुरहट (सीधी), खाचरौद, महिदपुर, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर, नागदा (उज्जैन), कट्टीवाड़ा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), सीहोर, आष्टा, इछावर, नसरूल्लागंज, बुदनी (सीहोर), बेगमगंज, गोहरगंज, बरेली, उदयपुरा (रायसेन), सिवनी-मालवा, इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझोली, कुंडम (जबलपुर), निवास, बिछिया, नैनपुर, मण्डला, घुघरी, नारायणगंज (मण्डला), डिण्डोरी, बजाग, शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, परासिया, तामिया, सोंसर, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा), बालाघाट, वारासिवनी, बैहर, कटंगी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ङ) 245.0 मि. मी. से 450 मि. मी. तक.—तहसील पचमढ़ी (होशंगाबाद), जुन्नारदेव, पांढुर्ना (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. जुताई.— जिला ग्वालियर, दतिया, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, झाबुआ, होशंगाबाद, जबलपुर, मंडला, डिण्डोरी, छिन्दवाड़ा, बालाघाट में जुताई व धान की रोपाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. बोनी.—जिला डिण्डोरी में उड़द, तुअर, कोदों-कुटकी व ग्वालियर, पन्ना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सीधी, देवास, जबलपुर व मण्डला में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. फसल स्थिति.— . .

5. कटाई.— . .

6. सिंचाई.—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, सागर, दमोह, अनूपपुर, उमरिया, देवास, बड़वानी, जबलपुर में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. पशुओं की स्थिति.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. चारा.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. बीज.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. खेतिहर श्रमिक.—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 5 अगस्त, 2015

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
***जिला श्योपुर :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	30.0				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	2.0				
6. मिहोना	. .				
7. रौन					
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	3.6		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. जुताई व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेंवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	73.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का, गन्ना अधिक, उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	54.0		(2) . .		
3. अशोकनगर	45.0				
4. चन्देरी	91.0				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	42.3		4. (1) सोयाबीन, मक्का, उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	22.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बमोरी	18.0				
4. आरोन	23.0				
5. चाचौड़ा	59.0				
6. कुम्भराज	37.0				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	6.0		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, तिली, उड़द, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	10.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	. .				
4. टीकमगढ़	61.0				
5. बल्देवगढ़	66.0				
6. पलेरा	11.0				
7. ओरछा	2.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	40.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .		
3. नौगांव	1.4				
4. छतरपुर	47.0				
5. राजनगर	25.6				
6. बिजावर	56.0				
7. बड़ामलहरा	75.8				
8. बक्स्वाहा	40.8				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	58.4		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, सोयाबीन, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	33.0		(2) . .		
3. गुन्नौर	92.0				
4. पवई	125.0				
5. शाहनगर	80.4				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) धान, मक्का, कोदों, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	. .				
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) ज्वार, सोयाबीन, उड़द, तुअर, मूंग, मक्का, धान, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) . .		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	56.1		4. (1) सोयाबीन अधिक. तिल, उड़द, तुअर समान. धान कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	3.0		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	35.0				
4. नागौद	91.2				
5. उचेहरा	51.0				
6. अमरपाटन	52.0				
7. रामनगर	60.0				
8. मैहर	96.0				
9. बिरसिंहपुर	65.0				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	113.0		4. (1) धान, चना, सोयाबीन, उड़द, मूंग, तुअर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	190.8		(2) . .		
3. मऊगंज	94.6				
4. हनुमना	43.8				
5. हुजूर	60.6				
6. गुढ़	71.6				
7. रायपुरकर्चुलियान	37.0				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	47.9		4. (1) धान, तुअर, तिल, कोदों-कुटकी, कम. मक्का, सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	46.5		(2) . .		
3. कोतमा	61.1				
4. पुष्पराजगढ़	85.1				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	31.4		4. (1) मक्का, तिल अधिक. धान, ज्वार, सोयाबीन, मूंग, कोदों-कुटकी, उड़द, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	12.0		(2) . .		
3. मानपुर	52.0				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	65.8		4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूँग, ज्वार कम. मक्का समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	100.2		(2) . .		
3. मझौली	61.0				
4. कुसमी	71.0				
5. चुरहट	96.5				
6. रामपुरनैकिन	21.0				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	21.6		4. (1) सोया अधिक. मक्का कम.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	25.0				
4. गरोठ	19.2				
5. मन्दसौर	38.0				
6. श्यामगढ़	12.6				
7. सीतामऊ	12.8				
8. धुन्धड़का	19.0				
9. संजीत	29.0				
10.कयामपुर	20.0				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का अधिक. तिल, तुअर, मूंगफली कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	57.0		4. (1) सोयाबीन, मक्का.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	92.0		(2) . .		
3. तराना	56.0				
4. घटिया	55.0				
5. उज्जैन	98.0				
6. बड़नगर	190.0				
7. नागदा	89.0				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) सोयाबीन, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग समान.	6. संतोषप्रद. चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	..		4. (1) गन्ना अधिक. कपास, तिल, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	..		(2) ..		
3. देवास	..				
4. बागली	..				
5. कन्नौद	..				
6. खातेगांव	..				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. थांदला	14.0		4. (1) उड़द कम. मक्का, सोयाबीन, कपास, मूंगफली समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	18.0		(2) ..		
3. पेटलावद	27.1				
4. झाबुआ	33.8				
5. राणापुर	20.0				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	43		4. (1) मक्का, उड़द, मूँगफली, सोयाबीन, अधिक. ज्वार, बाजरा कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	30.6		(2) ..		
3. कट्टीवाड़ा	56				
4. सोण्डवा	31				
5. उदयगढ़	53.6				
6. च.शे.आ. नगर	43.6				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. ..
1. बदनावर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	..		(2) ..		
3. धार	..				
4. कुक्षी	..				
5. मनावर	..				
6. धरमपुरी	..				
7. गंधवानी	..				
8. डही	..				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	..		(2) ..		
3. इन्दौर	..				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	..				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	..		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूँगफली, अलसी, राई-सरसों अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	..		(2) ..		
3. सेगांव	..				
4. खरगौन	..				
5. गोगावां	..				
6. कसरावद	..				
7. भगवानपुरा	..				
8. भीकनगांव	..				
9. झिरन्या	..				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	. .		4. (1) गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पंधाना	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	150.0		4. (1) कपास, मूंगफली.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	183.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	228.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. पचोर	. .				
7. नरसिंहगढ़	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	. .		(2) . .	. .	
3. कुरवाई	. .				
4. बासौदा	. .				
5. नटेरन	. .				
6. विदिशा	. .				
7. गुलाबगंज	. .				
8. ग्यारसपुर	. .				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. धान रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	117		4. (1) . .	6. संतोषप्रद.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	93		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	101				
4. नसरुल्लागंज	129				
5. बुधनी	54				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	47.4		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोदो-कुटकी, तुवर, मूँग, उड़द, सोयाबीन,मूंगफली, तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	50.0				
3. बेगमगंज	101.2				
4. गौहरगंज	60.0		(2) . .		
5. बरेली	74.2				
6. सिलवानी	32.8				
7. बाड़ी	51.5				
8. उदयपुरा	114.0				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	115.4		4. (1) गन्ना, तिल अधिक, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	51.9		(2) . .		
3. बावई	42.0				
4. इटारसी	89.2				
5. सोहागपुर	111.0				
6. पिपरिया	173.6				
7. वनखेड़ी	122.0				
8. पचमढ़ी	337.8				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) सोयाबीन.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) . .		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	94.2		4. (1) तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	133.6		(2) . .		
3. जबलपुर	139.9				
4. मझौली	166.4				
5. कुण्डम	182.0				
***जिला कटनी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. कटनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. रीठी	. .				
3. विजयराघवगढ़	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. बहोरीबंद	. .				
6. ढीमरखेड़ा	. .				
7. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	180.9	का कार्य चालू है.	4. (1) मक्का, सन, तिल समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	169.8		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	102.1				
4. मण्डला	181.0				
5. घुघरी	91.9				
6. नारायणगंज	139.0				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं उड़द, तुवर,	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	120.2	कोदों-कुटकी की बोनी व	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बजाग	94.0	धान की रोपाई का कार्य	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. शाहपुरा	223.2	चालू है.			
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	187.8		4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	281.8		कम.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	149.0		(2) . .		
4. जामई (तामिया)	109.0				
5. सोंसर	83.8				
6. पांढुर्णा	252.4				
7. अमरवाड़ा	190.8				
8. चौरई	221.2				
9. बिछुआ	133.4				
10. हर्रई	67.2				
11. मोहखेड़ा	124.6				
***जिला सिवनी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. उरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. धान की रोपाई का कार्य	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	169.3	चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	40.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. बैहर	215.0				
4. वारासिवनी	68.4				
5. कटंगी	134.0				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला श्योपुर, शहडोल, राजगढ़, बैतूल, कटनी, सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(596)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2015.